न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्री सोमा पुत्र बदा 2. श्री रावता पुत्र बदा 3. श्री अम्बा पुत्र बदा 4. श्री चतरा पुत्र बदा 5. श्री भेरा पुत्र बदा जातियान ग्रासिया, निवासियान बहादुरपुरा, तहसील आबूरोड		1. नवला पुत्र सोमा 2. धुला पुत्र सोना 3. काली बेवा सोना 4. भूरी बेवा थावरा 5. धरमा पुत्र थावरा 6. श्री बाबू पुत्र थावरा 7. श्री शकर पुत्र थावरा 8. श्री वाला पुत्र थावरा 9. श्री भारमा पुत्र लाला 10. श्री पिन्टु पुत्र लाला समस्त जातियान ग्रासिया निवासियान बहादुरपुरा तहसील आबूरोड 11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या 46/2016

दिनांक 23–12–2020

निर्णय

यहकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि गांव महीखेडा पटवार हल्का बहादुरपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गिरवर तहसील आबूरोड में प्रार्थीगण के दादा श्री मोती पुत्र चतरा निवासी वाजणा बहादुरपुरा के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक अधिकर की भूमि निम्न विवरण अनुसार स्थित थी :–

खसरा नम्बर	रकबा	
	रकबा	बिस्वा
12	09	03
14	04	17
15	00	02
21	08	03
कुल	22	04

यह कि उक्त वर्णित भूमि के अतिरिक्त ग्राम गिरवर तहसील आबूरोड में भी प्रार्थीगण के दादा श्री मोती पुत्र चतरा निवासी वाजणा बहादुरपुरा के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक अधिकार की भूमि निम्न विवरण अनुसार स्थित थी :–

खसरा नम्बर	रकबा	
	रकबा	बिस्वा
25/1	01	09
25/2	06	[illegible]
26	16	[illegible]
28	00	[illegible]
कुल	24	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 10:00:43 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त मोती पुत्र चतराजी की वंशावली [illegible]क से अनुसूची में दर्शायी गई है जो इस वाद पत्र का एक अभिन्न भाग है। उक्त मोती पुत्र चतरा के दो पुत्र राजा व बदा थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। राजा के 4 पुत्र काला, थावरा, सोना, व लाला थे। जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। उनके जीवित वारिसान वर्तमान वाद में अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के रूप में पक्षकार है।

मोती पुत्र चतरा का द्वितीय पुत्र बदा की मृत्यु हो गई है एवं प्रार्थीगण उसके जीवित वारिसान है तथा बदा के हक हिस्से की भूमि के संबंध में पूर्ण हक अधिकार रखते है। बदा पुत्र मोती प्रारम्भ से ही मन्दबुद्धि थे, जिसके कारण उनका पालन पोषण व सारसम्भाल पिता मोती एवं कालान्तर में भाई राजा द्वारा की जाती थी। विवादित आराजी के संबंध में मोती पुत्र चतरा की मृत्यु के उपरान्त उसके दोनो पुत्रों का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया जाना राजस्व अधिकारियों से अपेक्षित था परन्तु उनके द्वारा विवादित आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं कर राजा पुत्र मोती का एक मात्र नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया, तत्समय परिवार में अच्छे संबंध होने के कारण मौके पर राजा व बदा दोनो का संयुक्त कब्जा काश्त लगातार कायम रहा। राजा व बदा की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण व राजा के पुत्रगण विवादित आराजी पर काबिज हुये जिनके मध्य भी आपसी सामजस्य व मधुर संबंध बने रहे जिसके चलत वे लोग विवादित आराजी मे मे उनके हिस्से पर पृथक पृथक काबिज काश्त रहे । परन्तु काला, थावरा, सोना व लाला के एक के एक मृत्यु होने के बाद से उनके वारिसान अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 से 10 द्वारा प्रार्थीगण को उनके हिस्से के कब्जे व काश्त की भूमि मे काश्त कार्य करने से रोका जाता है तथा प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण रहा है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के कथनो को अस्वीकार किया तथा कथन किया कि मौजा फतेहपुरा, पटवार हल्का चण्डेला मे खसरा संख्या 220 रकबा 05 बीघा 05 विस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता रजा के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज मोती पुत्र चतरा को आवंटित हुई थी, जिस कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम बतौर उत्तराधिकारी उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का पिता बदा कभी मंद बुद्धि नही रहा, न ही अप्रार्थीगण के पूर्वजो ने बदा के मंदबुद्धि होने का कोई अनुचित फायदा उठाया है। प्रार्थीगण ने जानबुझकर दुर्भावनावश उक्त तथ्य का उल्लेख इस वाद मे कही नही किया है, प्रार्थीगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष नही आये है अतः वाद परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण विवादित आराजी को उत्तराधिकार के विरासतन मे मिलना साबित नही कर पाये है तथा प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार भी नही है। प्रार्थीगण द्वारा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थीगण अपूर्तनीय क्षति, सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत आदेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।**

आदेश

यहकि अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण विवादित आराजी को उत्तराधिकार के विरासतन मे मिलना साबित नही कर पाये है तथा प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार भी नही है। प्रार्थीगण द्वारा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थीगण अपूर्तनीय क्षति, सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत आदेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।**

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबरी से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 10:00:43 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 गौरव सैनी) आई0ए0एस0
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत